



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.02.2024

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आजाद पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 रविश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भैसानी इस्लामपुर में विद्युत चैकिंग के दौरान विजिलेंस टीम के साथ अभद्रता करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 15.02.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भैसानी इस्लामपुर में विद्युत चैकिंग के दौरान विजिलेंस टीम के साथ स्थानीय युवकों द्वारा अभद्रता कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी प्रवर्तन दल श्री हरपाल सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर शहजाद आदि 05 नफर व अज्ञात के विरुद्ध थाना थानाभवन पर तहरीर दी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना प्रभारी थानाभवन को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भैसानी इस्लामपुर में विद्युत चैकिंग के दौरान विजिलेंस टीम के साथ अभद्रता करने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.राशिद पुत्र फैय्याज निवासी भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.लीला उर्फ इंशाद पुत्र फरमूद निवासी भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.श्री सतीश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.का0 अनुज कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.का0 अश्वनी कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2012 में अभियुक्त राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला पंसारियान कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 576/2012 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16.02.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को धारा 414 भादवि में सुनाई 08 माह के कारावास की सजा व 2500/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.राहुल पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला पंसारियान कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI